

28.10.21

अज्ञ अदालत
जिला मुकदमा 130 एल जल एक्ट
Form No-111
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
जिला मुकदमा 130 एल जल एक्ट
जिला सीएमएल, आईटी 2021
मुजमा-ए-आम

कार्यका क्रम		कार्य का वर्णन अदालत की इस दुजमा की कार्यवाही में जारी किया
व्याप्त	<p>तहसीलदार मुज / नायब तहसीलदार रायसिंहनगर के चक्र/पु.अ/ब.ना.स.अ / 2021/2021-22 दिनांक 20.10.21 के द्वारा प्रशासन गांधी के संग अधिसूचना-2021 केम कोर्ट एम पंचायत में प्रार्थी के नाम चक्र 2P-3 की जमाबंदी सम्वत 2025-2028 के खाता सं. 20 में 5883 शाखा गवाहिंदपुर के</p> <p>के स्थान पर 5881 शाखा गवाहिंदपुर के दफ्तर</p>	
	<p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम केम कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किये जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार गवाहिंदपुर रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर चक्र 2P-3 तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत 2025-2028 के खाता सं. 20 में 5883 शाखा गवाहिंदपुर के दफ्तर के स्थान पर 5881 शाखा गवाहिंदपुर के दफ्तर</p>	
	<p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	<p>(अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p> <p>कुम्हार - भादु</p>

